

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

## संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019

### आदेश सं०. 3/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर

का.आ. (अ). – जबकि, केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (v) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपूर्ति के कारण होता है;

और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (v) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

अतः, अब, संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. लघु शीर्षक – यह आदेश संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का तीसरा निराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा ।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।
3. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

[फा. सं०. 354/32/2019-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)  
उप सचिव, भारत सरकार